

वशिववदियालयों में कुलपतकी नयुक्तसे संबधति वधियक

प्रलिमिस के लयि:

वशिववदियालयों में कुलपतपर तमलिनाडु वधियक, राज्य वशिववदियालयों में कुलपतकी नयुक्तमें राज्यपाल की भूमकि।

मेन्स के लयि:

केंद्र-राज्य संबधों में राज्यपाल की भूमकि।

चरचा में क्यो?

हाल ही में तमलिनाडु वधिनसभा ने दो वधियक पारति कयि, जो 13 राज्य वशिववदियालयों के कुलपतयिों (VC) की नयुक्तमें राज्यपाल की शक्तको स्थानांतरति करने का प्रावधान करते हैं।

- इससे पहले महाराष्ट्र और पश्चमि बंगाल सरकारों ने राज्यपाल द्वारा वशिववदियालयों के कुलपतकी नयुक्तके संबध में समान प्रावधान कयि हैं।
- कर्नाटक, झारखंड और राजस्थान में राज्य के कानून 'राज्य और राज्यपाल' के बीच सहमतकी आवश्यकता को रेखांकति करते हैं।
- ज़्यादातर मामलों में 'सहमति' या 'परामर्श' शब्द राज्य के कानून से अनुपस्थति हैं।

वधियकों की मुख्य वशेषताएँ:

- तमलिनाडु में पारति इन वधियकों में ज़ोर दयिा गया है कि "कुलपतकी नयुक्तसरकार द्वारा 'खोज एवं चयन समति' की अनुशंसा के आधार पर गठति एक तीन सदस्यीय पैनल के माध्यम से की जाएगी"।
- वर्तमान में **राज्यपाल**, राज्य वशिववदियालयों के कुलाधपति की हैसयित से चयन सूची में से कसिी एक को **कुलपत** के रूप में नयुक्त करने की शक्त रखता है।
- वधियकों में राज्य सरकार को आवश्यकता पडने पर कुलपतयिों को हटाने पर अंतमि नरिणय लेने का अधिकार देने का भी प्रयास कयिा गया है।
- कुलपतयिों को हटाने का नरिणय **उच्च न्यायालय के सेवानवित्त न्यायाधीश या मुख्य सचवि** की जाँच के आधार पर की जाएगी।

यूजीसी की भूमकि:

- शकिषा **समवर्ती सूची** के अंतर्गत आती है, लेकिन **संघ सूची की प्रवषिटि 66-** "उच्च शकिषा या अनुसंधान और वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों में मानकों का समन्वय तथा नरिधारण", **केंद्र को उच्च शकिषा पर पर्याप्त अधिकार देता है।**
- **वशिववदियालय अनुदान आयोग** वशिववदियालयों और कॉलेजों में नयुक्तयिों के मामले में मानक-नरिधारण की भूमकि नभिता है।
 - हाल ही में वशिववदियालय अनुदान आयोग ने **संयुक्त डगिरी, दोहरी डगिरी और जुड़वाँ कार्यक्रम वनियम, 2022** को बढ़ावा देने क लयि **भारतीय एवं वदिशी उच्च शकिषा संस्थानों के बीच अकादमकि सहयोग** की शुरुआत की है।
 - इन नयिमों के तहत सहयोगी संस्थानों को तीन तरह के कार्यक्रमों को प्रारंभ करने की अनुमति होगी- जुड़वाँ कार्यक्रम, संयुक्त डगिरी और दोहरी डगिरी।
- यूजीसी (वशिववदियालयों और कॉलेजों में शकिषकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारयिों की नयुक्तके लयि न्यूनतम योग्यता व उच्च शकिषा में मानकों की मान्यता हेतु अन्य उपाय) वनियम, 2018 के अनुसार, "आगतुक/कुलाधपति", ज़्यादातर राज्यों में राज्यपाल "सर्च कम सलैक्शन समतियिों" द्वारा अनुशंसति नामों के पैनल में से कुलपतकी नयुक्तकरेगा।
- उच्च शकिषण संस्थानों, वशिष रूप से जनिहें यूजीसी द्वारा फंड प्राप्त होता है, को यूजीसी के नयिमों का पालन करना अनविर्य है।
- आमतौर पर केंद्रीय वशिववदियालयों के मामले में यूजीसी के नयिमों का पालन बनिा कसिी रुकावट के कयिा जाता है, लेकिन कभी-कभी राज्य वशिववदियालयों के मामले में राज्यों द्वारा इसका वरिध कयिा जाता है।

न्यायपालकि की राय:

[सर्वोच्च न्यायालय](#) ने विभिन्न नरिण्यों में कहा है कयूजीसी के नयियों के प्रावधानों के विपरीत कुलपति के रूप में कसिी भी नयिकृतीको वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कहा जा सकता है, जो कऱ [अधिकार-पूछा रटि](#) की एक गारंटी है ।

- राज्य के कानून और केंद्रीय कानून के बीच कसिी भी तरह के वरिोध की स्थिति में, केंद्रीय कानून मान्य होगा, कयोंकऱ 'शिक्षा' कऱसंविधान की [सातवीं अनुसूची](#) की समवर्ती सूची में रखा गया है ।

राज्य विश्वविद्यालयों में राज्यपाल की भूमिका:

- ज़्यादातर मामलों में राज्य का राज्यपाल संबंधित **राज्य के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति होता है ।**
- **राज्यपाल के रूप में वह मंत्रपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है** लेकिन **कुलाधिपति के रूप में वह मंत्रपरिषद से स्वतंत्र रूप में कार्य करता है** और विश्वविद्यालय के सभी मामलों पर नरिणय लेता है ।
- **केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में:**
 - केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (**Central Universities Act, 2009**) और अन्य विधियों के तहत भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा ।
 - दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने तक सीमति भूमिका के साथ ही वह केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति के रूप में नाममात्र का प्रमुख होता है जसिे राष्ट्रपति द्वारा आगंतुक के रूप में नयिकृत किया जाता है ।
 - कुलपति को भी केंद्र सरकार द्वारा गठित खोज और चयन समितियों (Search and Selection Committees) द्वारा चुने गए नामों के पैनल से वज़िटर द्वारा नयिकृत किया जाता है ।
 - अधिनियम में यह भी कहा गया है कऱ राष्ट्रपति को उसे कुलाध्यक्ष के रूप में विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पहलुओं के नरिीक्षण के लिये अधिकृत करने एवं जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/tamil-nadu-bill-on-vice-chancellor-in-universities>

